राष्ट्रीय सहारा

भारतीय स्टेट बैंक ... वादी

बनाम

मानेन्दर सिंह ... प्रतिवादी

सेवा में,
गौतम कुमार
श्री मानेन्दर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी डब्ल्यू–2/4, गली नंबर 9, एच–ब्लॉक, जौहरीपुर एक्सटेंशन, करावल नगर, नई दिल्ली–110094

उपरोक्त नामक प्रतिवादी
जबकि आप सम्मन प्राप्त करने से जानबूझकर बच रहे हैं, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि आप अंतिम निपटान के लिए नियत तिथि 29–01–2020 को वाद का बचाव करने के लिए हाजिर नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई तथा निर्धारण एकपक्षीय आधार पर किया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मोहर लगाकर दिनांक 28–11–2019 को दिया गया।

सुश्री रेणु चौधरी,
सिविल जज–03, रूम नंबर 15, मध्य जिला, तीस हजारी, दिल्ली

प्रतिवादी के उपस्थिति की अपेक्षाकारी उद्घोषणा
(सिविल प्रक्रिया संहिता का आर्डर 5, रूल 20)
श्री रूपिन्दर सिंह श्रीमान, सिविल जज–06, सेन्ट्रल डीएमसी, दिल्ली–54 के न्यायालय में

वाद सं. : सीएस /1131/2019
भारतीय स्टेट बैंक बनाम दीपक नागपाल
सेवा में,
गौतम कुमार
दीपक नागपाल, पुत्र कृष्ण लाल, निवासी आर–13, रामा पार्क रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 अन्य पता : डब्ल्यूई–66, निकट रेड रोज स्कूल, रामा पार्क, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059

जबकि आप सम्मन प्राप्त करने से जानबूझकर बच रहे हैं, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि आप अंतिम निपटान के लिए नियत तिथि 07–02–2020 को पूर्वा. 10.00 बजे वाद का बचाव करने के लिए हाजिर नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई तथा निर्धारण एकपक्षीय आधार पर किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मोहर लगाकर दिनांक 13–12–2019 को दिया गया।

सिविल जज
दिल्ली

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(इन्सॉल्वैन्सी एंड बैंकरप्सी (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)
मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट ऋणधारक का नाम	मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	06-01-1193
3.	वह प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है	कंपनियों के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	L45400DL1993PLC051603
5.	कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय: बी–292, चंद्र कंता कॉम्प्लेक्स, दुकान नं. 7, मेट्रो पिल्लर नं. 161, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096 कॉर्पोरेट कार्यालय: सी–56/41, सैक्टर–62, नोएडा 201303 वर्क्स/यूनिट: i. औद्योगिक प्लाट नं. 11, सैक्टर–9, औद्योगिक इंटीग्रेटिड ईस्टेट, पंत नगर, रुद्रपुर पोस्ट ऑफिस, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड –263153 ii. एमआईडीसी प्लॉट नं. डी–3, उमरेड औद्योगिक क्षेत्र, चंद्रपुर रोड, तालुका उमरेड, जिला नागपुर–441203
6.	इन्सॉल्वैन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि	09-01-2020
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	09-01-2020 (दिनांक 21.01.2020 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक के रूप में इन्सॉल्वैन्सी प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नाम: ज्ञान चंद नारंग पंजी नं. IBBI/IPA-002/IP-N00362/2017-18/11031
9	बोर्ड के पास पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ई–मेल	पता : ब्लॉक–बी2, फ्लैट नं. 214, वरूण अपार्टमैंट, सैक्टर–9, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 ईमेल: narangcg58@gmail.com
10	परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला पता एवं ईमेल	पता: एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स् एलएलपी, 409, चतुर्थ तल, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 ईमेल : insolvency@arck.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	08.02.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान बैंच, नई दिल्ली ने 09.01.2020 को मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है। (दिनांक 21.01.2020 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई)
मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड के स्टेक धारकों को आह्वान किया जाता है कि ऊपर मद 10 के समक्ष वर्णित पते पर परिसमापक के पास 08.02.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे प्रमाण सहित जमा करें।
वित्तीय क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्टेकधारक व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

हस्ता/–
ज्ञान चंद नारंग
परिसमापक – मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड

दिनांक: 23-01-2020
स्थान : नई दिल्ली

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उसने आप सरकार को जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ 2016 के राजद्रोह के एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिये निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने 14 जनवरी को कुमार और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दायर करते हुए कहा था कि वे विश्वविद्यालय परिसर में नौ फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम में जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और राजद्रोह वाले नारों का समर्थन कर रहे थे। कुमार के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर भी आरोप था। भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका में कुमार के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देने की मांग करते हुए कहा गया कि इस तरह के मामलों में मुकदमे में विलंब कानून के शासन के लिये खतरे के बराबर है। याचिका में सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह एक उच्चस्तरीय समिति गठित करे जो यह पहलू देखेगी कि कुमार समेत आपराधिक मामलों में मुकदमे के लिये मंजूरी देने की प्रशासनिक प्रक्रिया में असाधारण विलंब किन वजहों से हुआ। उच्च न्यायालय ने पिछले साल चार दिसंबर को कहा था कि वह इस संबंध में दिल्ली सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि मौजूदा नियमों, कानूनी नीति और मामले के तथ्यों के मुताबिक मुकदमे की मंजूरी का फैसला दिल्ली सरकार को लेना है।

प्रदर्शन सुरक्ष

नई दिल्ली (एसएनबी)। भ
वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस
गोयल ने शाहीन बाग में ना
संशोधन कानून के खिलाफ प्रद
सुरक्षा के लिए खतरा बताया अ
कि यह गुमराह लोगों की
आयोजित किया जा रहा है। गौर
कि शाहीन बाग में एक माह से
समय से सीएए के खिलाफ प्रद
रहा है। गोयल ने संवाददाताओं
करते हुए कहा कि शाहीन बाग में
के कारण बदरपुर, कालिंदी कु
दक्षिणी पूर्व दिल्ली के अन्य इल
नोएडा से जोड़ने वाला यातायात
हुआ है। उन्होंने कहा कि इतने
सड़क को बाधित कर, लोगों को
और बच्चों को स्कूल जाने से रो
जिस तरह कानून व्यवस्था का धो
उड़ा रहे हैं, यह सुरक्षा को खतरा है

कुछ विवि दे रहे अमान्य डिग्री, ख

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

देश के कुछ विश्वविद्यालय ऐसी डिग्रियां दे रहे हैं, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ऐसी डिग्रियां देने से कानूनी विवाद खड़े हो रहें हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) ने इस पर चिंता जताई है। इस संबंध में देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिख कर निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों को यदि कोई नई डिग्री देनी है, तो इसके लिए पहले आयोग से स्वीकृति ली जाए। विश्वविद्यालयों को भेजे गए निर्देश में यूजीसी ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय को डिग्री देने का अधिकार संसद में पारित नियमों के

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिए निर्देश

तहत दी जा सकती है।
इतर कोई अन्य डिग्री नह
से नहीं ली गई हो। लेकि

कोई डिग्री प्रदान करना
करना होगा। साथ ही
स्पष्टीकरण देना होगा।

पाइपलाइन से जलापूर्ति में कई

■ संजय दुटेजा

नई दिल्ली। एसएनबी

देश में ग्रामीण क्षेत्रों तक पाइप के जरिए जलापूर्ति करने की केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतर राज्य रुचि नहीं ले रहे हैं। उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार व असम ऐसे राज्य हैं जो योजना के क्रिन्यावयन में सबसे पीछे हैं। हाल यह है कि चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों के लिए कुल 66653 गांवों व बस्तियों में पाइपलाइन जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन मात्र 23520 गांवों व बस्तियों तक ही अब तक पाइपलाइन बिछाई गई है।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है लेकिन कुल निर्धारित लक्ष्य में से 43133 गांवों तक लाइन लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति किया जाना अभी बाकी है। देश में आजादी के सात दशक बाद भी लाखों गांव ऐसे हैं जो पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांवों तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन केंद्र से योजनाओं के लिए धन मिलने के बावजूद राज्य उसमें रुचि नहीं लेते हैं। हाल यह है कि योजनाओं का लक्ष्य पाना तो दूर योजनाएं अपने लक्ष्य के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रही हैं।

केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गांवो व बस्तियों में में पाइप लाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए केंद्रीय पेयजल मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में 66653 गांवों व बस्तियों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन राज्यों की लापरवाही से मात्र 23520 गांवों व बस्तियों तक ही अब तक पाइपलाइन बिछाई गई है।

वर्ष में कुल लक्ष्य का आधा भी हासिल नहीं कर पाये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड

इस योजना के क्रिन्यावयन में सबसे पीछे झारखंड है जहां इस वर्ष कुल 10731 गांवों तक पाइपलाइन जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर अब तक झारखंड में मात्र 889 बस्तियों तक ही पाइपलाइन बिछाई जा